1/2

अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से., जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज की अध्यक्षता में दिनांक 13.12.2014 को जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही

1. पुलिस अधीक्षक–सह–सदस्य, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण, किशनगंज।
2. अपर समाहर्त्ता–सह–सदस्य सचिव, जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण, किशनगंज।
3. ...रीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, किशनगंज।

–: कार्यवाही :–

पूर्व में जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण की त्रैमासान्त बैठक माह अगस्त, 2014 में दिनांक 02.08.2014 को आयोजित की गई थी। सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 257/जि.विधि, दिनांक 09.08.2014 द्वारा सभी संबंधितों को भेजी गई है।

तद्नुसार बैठक की कार्यवाही का अनुपालन एवं अधिनियम की धारा 60 के तहत् जिला उत्तरदायित्व प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा की गई।

गत् बैठकों में लिये गये निर्णय के अनुसार पुलिस पदाधिकारियों पर लगाये गये कतिपय आरोपों के संबंध में परिवादियों को विभिन्न तिथियों में सुना गया है तथा पुलिस पदाधिकारियों की सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित की गई थी, जिसमें मात्र एक पुलिस पदाधिकारी श्री घनश्याम कुमार, अ0नि0, तदेन थानाध्यक्ष, पौआखाली ही आए तथा अपना पक्ष रखें, जिन्हें लिखित रूप से पक्ष रखने के लिए कहा गया। अन्य दो पुलिस पदाधिकारी मो. जनीफ, तदेन थानाध्यक्ष, बहादुरगंज वर्त्तमान अररिया पुलिस बल तथा श्री चितरंजन ठाकुर, तदेन थानाध्यक्ष, कोचाधामन वर्तमान कटिहार पुलिस बल, पुनः निर्धारित तिथि में उपस्थित नहीं हुए। इस संबंध में विमर्शोपरान्त निर्णय लिया गया कि संबंधित पदाधिकारी पूर्व में ही स्थानान्तरित हो गये है। अतः विषयवस्तु की विस्तृत जाँच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज स्वयं कर प्रतिवेदन अगली बैठक में समर्पित करेंगे, साथ ही, इस संबंध मे संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से भी स्पष्टीकरण प्राप्त करेंगे।

पुलिस अधीक्षक, किशनगंज के पत्रांक 3156/गो., दिनांक 07.11.2014 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत त्रैमास में जिला के पुलिस पदाधिकारी/कर्मी के विरूद्ध कोई परिवाद पत्र प्राप्त नही है। किन्तु, जिला में श्रीमती बसंती देवी, पति– श्री कृष्ण कुमार साह, सा0– खगडा (किशनगंज) की ओर से एक परिवाद पत्र समर्पित किया गया है, जो किशनगंज थाना

... संख्या 256/14, दिनांक 28.05.2014 के अनु... कर्त्ता अ0नि0 श्री जीवन प्रसाद यादव के ... लगाये गये कतिपय आरोपों से संबंधित है। इस संबंध में विमर्शोपरांत निर्णय लिया गया कि ... वस्तुतः की जॉच अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज स्वयं कर जॉच प्रतिवेदन अगली बैठक ... समर्पित करेंगे।

अध्यक्ष एवं जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा यह भी कहा गया कि गठित जिला ... दायित्व प्राधिकरण का व्यापक प्रचार--प्रसार क्षेत्र/विभिन्न जन बैठको में किया जाय ताकि ... उत्तरदायित्व प्राधिकारण की सार्थकता से आम जन अवगत हो सके तथा पुलिस एवं आम जन ... सहयोगात्मक एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण और सुदृढ़ हो सके।

अंत में, सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह./–
(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता--सह--अध्यक्ष,
जिला उत्तदायित्व प्राधिकरण,
किशनगंज।

ज्ञापांक 483 /जि.विधि, किशनगंज, दिनांक 20.12. 2014.

प्रतिलिपि : सभी संबंधित सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, किशनगंज को परिवाद पत्र की प्रति के साथ सूचनार्थ एवं तदनुसार आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं वृहद् प्रचारार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल दंडाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सरकार के संयुक्त सचिव/अवर सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, बिहार, पटना को कार्यालय पत्रांक 6567, दिनांक 03.09.2013 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ की सेवा में सूचनार्थ।

प्रतिलिपि : जिला प्रबंधक, आई.टी., किशनगंज को सूचनार्थ एवं जिला के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करते हुए संबंधितों को ई--मेल हेतु प्रेषित।

(अनिमेष कुमार पराशर, भा.प्र.से.)
जिला दंडाधिकारी एवं समाहर्त्ता--सह--अध्यक्ष,
जिला उत्तदायित्व प्राधिकरण,
किशनगंज।